कार्यालय नजारत दीवानी न्यायालय सीतापुर

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में दीवानी न्यायालय परिसर सीतापुर में निम्नलिखित दुकानों को लगाये जाने के सम्बन्ध में दुकानों की नीलामी दिनांक 10.03.2026 को समय 4.30 बजे दिनं में दीवानी न्यायालय परिसर के सभागार में की जायेगी। नीलामी खुली बोली के आधार पर होगी, इच्छुक व्यक्ति उल्लिखित नियम व शर्तों के साथ नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैंः-

दुकानों के ठेके का नामः

1- दुकान ठेका फोटोग्राफी ब्लैक एण्ड व्हाइट गेट नं०-3
2- दुकान ठेका गवाह घर के निकट पानी शरबत
3- ठेका फल फ्रूट सुक्ष्म जलपान गेट नं० 3 के दायीं तरफ
4- ठेका समोसा पकौड़ा लाई चना गेट नं० 1
5- दुकान ठेका पानी शरबत दक्षिणी पूर्वी गेट नं०-4
6- दुकान ठेका कम्प्यूटर कम्पोजिंग मध्य पूर्वी गेट नं०-3
7- दुकान ठेका गेट सं०-5 के पूरब बनी हुयी दुकान में विविध वस्तुओ की बिक्री
8- दुकान ठेका शरबत कोल्ड ड्रिंक गेट संख्या-2

नियम व शर्तैंः-

नोटिस में क्रम संख्या-1 पर उल्लिखित ठेके की बोली में सम्मिलित होने के लिए 30000/- रुपये की जमानत राशि तथा शेष 2 ता 8 तक के ठेकों की बोली हेतु 10000/- रुपये जमानत राशि कार्यालय नजारत में दिनांक 10.03.2026 को समय 1.30 बजे तक नकद जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसे बोली में भाग लेने का हक नहीं होगा।

1- बोली स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने या पुनः बोली कराने का अन्तिम एवं पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को होगा।

2- ठेकेदार को बोली का ¼ हिस्सा तुरन्त तथा शेष धनराशि नीलामी स्वीकृत होने के एक सप्ताह तक अवश्य जमा करनी होगी अन्यथा ठेका निरस्त करते हुए जमानत राशि बहक सरकार जब्त कर ली जाएगी।

3- ठेकेदार दुकान के चारों ओर साफ-सफाई रखेगा तथा मजमा भीड़ नहीं लगाएगा तथा कोई स्थायी व अस्थायी निर्माण नहीं करेगा।

4- माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये सबसे ऊँची बोली अस्वीकृत कर दें।

5- ठेकेदार न्यायालय परिसर में कोई गैर कानूनी कार्य नहीं करेगा यदि वह ऐसा कर ता पाया जाएगा तो उसकी राशि बहक सरकार जब्त कर उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी।

6- ठेका अवधि समाप्त होने के उपरान्त ठेके का कब्जा सम्बन्धित अधिकारी को तुरन्त प्रदान करना होगा अन्यथा स्थिति में उससे 1000/- रुपये प्रति दिवस की धनराशि बसूल की जायेगी।

7- बोली में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ राशन कार्ड/पैन कार्ड आदि की फोटोप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

8- माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन एवं बिना कारण बताये ठेके को किसी भी समय निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

उपरोक्त शर्तों से यदि कोई व्यक्ति सहमत हों तो वह उपरोक्त वर्णित दिनांक व समय पर नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु उपस्थित हो सकता है।

अध्यक्ष नीलामी समिति
अपर जिला जज कोर्ट संख्या-1
सीतापुर।